न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 137/2017

1. सूरज प्रकाश } पिसरान छज्जूराम जाति धानक निवासी 13 डीओएल
2. मदनलाल } तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. प्रवीण कुमार पुत्र सीतादेवी जाति धानक निवासी वार्ड नं.11 गजसिंहपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ।
2. दीपककुमार पुत्र सीतादेवी जाति धानक निवासी वार्ड नं. 11 गजसिंहपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. उपखंड अधिकारी घड़साना । —— रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त. अधि. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घड़साना
दिनांक 18.04.2016
उपस्थिति :—
श्री हरबंससिंह कचूरा अभिभाषक अपीलार्थी ।
श्री तेजसिंह अभिभाषक रेस्पो.।
श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय दिनांक 15.09.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो. 1 व 2 ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी घड़साना के समक्ष रा.का.अ. की धारा 53, 88, 183 का पेश कर कथन किया कि वादीगण के नाना छज्जूराम के नाम से चक 13 डीओएल ए के मु.न. 17 के प.न. 34/15 की 6.325 है. भूमि राजस्व

15/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

रिकार्ड में दर्ज है। जिसके 6 जायज वारिस है । वादीगण की माता छज्जूराम की पुत्री थी जिसका भी देहान्त हो चुका है। वादीगण की माता की मृत्यु के समय वादीगण नाबालिग थे एवं जब बालिग हुए तो वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 को कई बार माता के हिस्से की भूमि का बंटवारा करके देवे लेकिन वे टालमटोल करते रहे। वादीगण ने राजस्व रिकार्ड का पता किया तो पता चला कि प्रतिवादी सं.1 व 2 ने समस्त भूमि अपने नाम से तथाकथित फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज दस्तबरदारी के आधार पर भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली जिस पर वादीगण पुनः प्रतिवादीगण से मिले एवं उनको भूमि देने के लिए कहा लेकिन वे इन्कार हो गये। यही वादकारण पैदा हुआ । वादीगण का उक्त भूमि में 1/5 हिस्सा बनता है जो पाने के अधिकारी है । अतः निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार करते हुए वाद पत्र के अनुतोष की मद क से ड़ अनुसार डिक्री किया जावें ।

प्रतिवादी सं. 3 व 4 ने इकबाली जबाव दावा पेश कर वाद डिक्री करने में कोई एतराज नहीं किया।

दावा एवं जबाव दावा के आधार पर अधी.न्यायालय ने अनुतोष सहित 6 वाद बिन्दु कायम किये गये । सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 18.04.2016 को वाद स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि छज्जूराम की मृत्यु के पश्चात अपीलांट का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पो. अपीलांट के भानजे नहीं है क्योंकि अपीलांट की बहिन सीतादेवी की मृत्यु के बाद अन्य दूसरी औरत की औलाद है यदि वे असल औलाद होती तो कभी का ही रेस्पो. अपनी भूमि पर आकर काबिज हो जाते । अपीलार्थीगण की माता व बहिने सुशीला व शीलादेवी ने अपना हक अपीलांट के पक्ष में त्याग दिया । इसके बाद अपीलांट के नाम से भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई । अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के

15/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया हैं। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाकर जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावें ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो. सीतादेवी के पुत्र है एवं सीतादेवी छज्जूराम की पुत्री थी । सीतादेवी एवं छज्जूराम दोनों का ही देहान्त हो चुका हैं छज्जूराम की भूमि में सीतादेवी का जो कि बनता था उसके सम्बन्ध में रेस्पो. ने अधी.न्यायालय में वाद पेश किया । अपीलांट यह साबित नहीं कर पाया कि रेस्पो. सीतादेवी के पुत्र नहीं है। ऐसी स्थिति में अधी. न्यायालय ने छज्जूराम की भूमि में से वादीगण/रेस्पो. को 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावें ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलार्थी ने यह अपील आदेश दिनांक 18.04.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 22.03.2017 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो.ने प्रत्युतत्र मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया हैं ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है कि वादीगण/ रेस्पो.ने अपने आपको सीतादेवी के पुत्र होने व सीतादेवी को छज्जूराम की पुत्री होना बताते हुए छज्जूराम की भूमि में माता में आने वाली भूमि का खातेदार घोषित करने का वाद पेश किया । अपीलांट ने अपनी अपील में यह कथन किया कि वादीगण/रेस्पो. सीतादेवी के पुत्र नहीं होना बताया है लेकिन न तो अधी. न्यायालय में और न ही इस न्यायालय में यह साबित करने में असमर्थ रहे कि

15/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

वादीगण/रेस्पो. सीतादेवी के पुत्र नहीं थे। सीतादेवी छज्जूराम की पुत्री होने के नाते छज्जूराम के वारिसान को विवादित भूमि का ब.ह.ब. का खातेदार घोषित किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधी.न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/9/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

डिक्री व सीगे अपील

(ओ. 41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'G'-9)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

इजलाल श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी

1. सूरजप्रकाश } पिसरान छज्जूराम जाति धानक निवासी 13 डीओएल
2. मदनलाल } तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलांट्स

बनाम

1. प्रवीण कुमार पुत्र सीतादेवी जाति धानक निवासी वार्ड नं. 11 गजसिंहपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. दीपक कुमार पुत्र सीतादेवी जाति धानक निवासी वार्ड नं. 11 गजसिंहपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. उपखण्ड अधिकारी घडसाना।

——रेस्पोंडेंट्स

अपील संख्या 137 सन् 2017 व नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी घडसाना निर्णय दिनांक 18.04.2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 15 माह 09 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री हरबंस सिंह कचूरा अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व श्री तेजा सिंह अभिभाषक रेस्पों. एवं श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता समाहत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग .....X.....) रूपये ..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 15 माह 09 सन् 2017 को जारी किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर